# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर ) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला ( आर. ए. एस. )
राजस्व वाद संख्या :– 20 / 19

उनवान

1. छीतर पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :–

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

---

–: आदेश :– दिंनाक :– 5.4.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के खातेदारी आराजी कृषि भूमि आस्थित चली आ रही है। व प्रार्थी निरन्तर शांति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी कब्जे काश्त आराजी भूमि खाता नम्बर 314 खसरा नम्बर 2288 रकबा 0.23 व खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.14 आस्थित चली आ रही है। जमाबंदी पर जरिये नामान्तकरण संख्या 679 दिनांक 29.3.2004 राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु खाता नम्बर 314 खसरा नम्बर 2288 रकबा 0.23 में से रकबा 0.10 तथा खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.14 में से रकबा 0.14 व जरिए नामान्तकरण संख्या 2203 दिनांक 20.12.17 राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु खाता नम्बर 314 खसरा नम्बर 2288 रकबा 0.23 में से रकबा 0.10 व खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.14 में से रकबा 0.14 का अंकन किया गया है। प्रार्थी 87 वर्षीय ग्रामीण अंचल निवासी है। श्रीमान द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 4.1.17 प्राप्त हुये तब प्रार्थी को अवगत हुआ की भूमि अवाप्ति का मुआवजा आपको भुगतान करने के बाद ही भूमि को अवाप्त किया जावेगा। जो प्रार्थी को प्राप्त नहीं होने तथा भूमि अवाप्ति का अंकन जमाबंदी पर हो जाने के बाद से प्रार्थी को अपने स्वामित्वी भूमि की सही जानकारी प्राप्त नहीं होने से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी भूमि की सुरक्षा के लिये भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी कराने के लिए निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार ने जवाब पेश नहीं कर जाहिर किया अप्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2288, 2305, ग्राम श्रीनगर में स्थित है। वादग्रस्त आराजियात छीतर पुत्र अमरा की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात थी जो वर्तमान आधार जमाबन्दी संवत 2073–76 से पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तथा छीतर पुत्र अमरा खातेदार काश्तकार दर्ज है। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का जवाब प्रस्तुत करते हुए खण्डन भी नहीं किया है। यदि सीमांकन करते हुए पत्थरगढी के आदेश प्रसारित किये जाते है तो अप्रार्थीगणों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। किन्तु खसरा नम्बर 2305 का पूर्ण रकबा एनएचएआई द्वारा अवाप्त होने से उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी की खातेदारी शेष नहीं है। तथा खसरा नम्बर 2288 पर भी 0.13 रकबे का ही प्रार्थी खातेदार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नसीराबाद हितबद्ध व्यक्तियों की विधिक उपस्थिति में ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल श्रीनगर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात जिसका खसरा नम्बर 2288 रकबा 0.13 है0 की पत्थरगढी की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner